

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway



महाप्रबंधक कार्यालय / GM's Office
कार्मिक विभाग / Personnel Deptt.
जबलपुर / Jabalpur. Pin-482001

पत्र क्र. पमरे/का-मुख्या/501/आई.आर/सीक्रेट बैलेट-2024

दिनांक 28.11.2024

पीठासीन अधिकारी एवं सहायक पीठासीन अधिकारी - जबलपुर, भोपाल, कोटा, सडिपुका/भोपाल एवं माडिमका/कोटा

Sub – Postal Ballot Paper System.

Ref –1. Rly. Board,s Letter No. 2024/SBEC – III/Elections dated 09.09.2024

2. Rly. Board,s Letter No. 2024/SBEC – III/Elections dated 28.11.2024

-----000-----

रेल्वे बोर्ड ने अपने संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 09.09.2024 के पैरा 14 एवं पैरा 15 के Annexure – VI में पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा - निर्देश जारी किये थे।

इसी क्रम में रेल्वे बोर्ड ने अपने संदर्भित पत्र क्र. 2 दिनांक 28.11.2024 के तहत संशोधित निर्देश जारी किया है कि डाक मतपत्र के लिए निर्धारित की गई तिथि के विस्तार हेतु अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति को देखते हुये मंडलो के पीठासीन अधिकारी के पास भी एक पोस्टल बैलेट बॉक्स रखा जाये जिसमें डाक मतपत्र लाभार्थी अपनी सुविधानुसार अपने मतदान किये गये डाक मतपत्र को इस पोस्टल बैलेट बॉक्स में डाल सके।

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. 2 की प्रति आवश्यक कार्यवाही एवं कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु परिपत्रित की जाती है एवं इसके अनुपालन के तहत प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के अधीन एक पोस्टल बैलेट बॉक्स रखे जाने की कार्यवाही करने के साथ ही पोस्टल बैलेट बॉक्स को सील किये जाने से पूर्व चुनाव में भाग लेने वाली यूनियनों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से कराया जाये। यह भी ध्यान रखा जाये कि इस बॉक्स में वोटर द्वारा स्वयं ही अपना डाक मतपत्र डाला गया है साथ ही इस का भी रिकार्ड रखा जाये कि किस - किसने पोस्टल बैलेट बॉक्स में अपना डाक मतपत्र डाला है व उसे ही पोस्टल बैलेट पेपर भी जारी किया गया है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

प. प्र. सु.
(संजय कुमार) 28.11.24

पीठासीन अधिकारी एवं उप मुख्य कार्मिक अधि. (औ.सं.)

कृते निर्वाचन अधिकारी, एस.बी.ई - 2024

प्रति:- महासचिव - वेसेरेएयू, वेसेरेमसंघ, वेसेरेडब्ल्यू, पीएमआरकेपी, एसआरबीकेयू, पमरे को रेल्वे बोर्ड के संदर्भित पत्र क्र. 2 के आलोक में सूचनार्थ।



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No.2024/SBEC-III/Elections

Dated: 28.11.2024

The PCPOs/Returning Officers
Zonal Railways (Open Line)
Metro Railway, Kolkata
Production Units (CLW & RCF only).

Sub: Postal Ballot Paper System.

In view of extension of date for making request for postal ballot paper, in terms of SBEC's letter No. 2024/SBEC-III/Elections dated 27.11.2024, some units have made a request for placing a ballot box exclusively for collecting voted postal ballots at Division too or else the voted postal ballots are likely to be wasted due to paucity of time.

2. The SBEC had considered the request and decided that in relaxation of relevant sections of Annexure VI of Final Modalities dated 09.09.2024 and subsequent instructions, a Ballot box (sealed in the same manner as prescribed for sealing of ballot boxes in booth) may be kept in office of Presiding Officer in the division. Postal ballot beneficiaries may drop their voted postal ballot in the ballot boxes so kept. On conclusion of voting, the Ballot box in the sealed condition should be securely delivered to Returning Officer (RO). The box shall be opened in RO's presence in HQ. RO's may issue operational guidelines for this activity and also regarding the officials to be deployed for transfer of sealed box to HQ with required security. These instructions should be widely circulated and advised to contesting unions.

(Rajiv Gandhi)

ED/E/RRB as

Member Secy. & Convener
Secret Ballot Election Committee-III